<u>2020 का विधेयक संख्यांक 110.</u>

[दि सेलरीज, एलाउंसिस एंड पेंशन आफ मेंबर्स आफ पार्लियामेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020

संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह 7 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1954 का 30

"(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन संसद सदस्यों को संदेय वेतन की कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से पैदा होने वाली अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए तीस प्रतिशत की कटौती की जाएगी ।"।

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का निरसन किया जाता है । 2020 का अध्यादेश सं. 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया समझा जाएगा । 1954 का 30

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 संसद सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन के लिए उपबंध करता है ।

2. भारत, शेष विश्व के समान, कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी का सामना कर रहा है, जिससे देश की जनता का स्वास्थ्य और आर्थिक प्रशाखन कठिन हो गया है । उक्त महामारी के फैलाव के निवारण तथा नियंत्रण के लिए तुरंत और शीघ्र राहत के साथ ही साथ आपात सहायता उपाय किए जा रहे हैं । ऐसी स्थिति की देखभाल और नियंत्रण के लिए, संसद सदस्यों के वेतन में कटौती सहित विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाना आवश्यक हो गया ।

3. उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में कतिपय संशोधन करना आवश्यक था । चूंकि संसद सत्र में नहीं था और तुरंत विधान की आवश्यकता थी, इसीलिए राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन 7 अप्रैल, 2020 को संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया था ।

4. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधयेक, 2020 जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 3) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, उसमें नई उप-धारा (1क) अंत:स्थापित करके उक्त अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए उपबंधित करता है, उप-धारा (1) के अधीन संसद सदस्यों को संदेय वेतन का उपबंध करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए तीस प्रतिशत की कटौती की जाएगी ।

5. यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ; **प्रह्लाद जोशी**

1 सितम्बर, 2020

उपाबंध

संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 30) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *